



मतदान लोकतंत्र की आधारशीला

डॉ. करण सिंह¹

¹ सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान).

ABSTRACT:

मतदान लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और जिम्मेदारियों में से एक है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति मुद्दों और उम्मीदवारों पर अपनी प्राथमिकताएं और राय व्यक्त करते हैं, और यह एक लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मतदान लोकतंत्र की आधारशीला है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा नागरिक अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में अपनी बात कह सकते हैं, और यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी तंत्र उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। यह व्यक्तियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है।

मतदान का अधिकार अधिकांश देशों के संविधानों में निहित है, और इसे एक मौलिक मानवाधिकार माना जाता है। हालाँकि, मतदान का अधिकार हमेशा सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं रहा है। कई देशों में, वोट देने का अधिकार शुरू में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक ही सीमित था, जैसे जमींदार या एक निश्चित सामाजिक वर्ग के पुरुष। समय के साथ, इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया है, और अधिक से अधिक नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

KEYWORDS:

मतदान, लोकतांत्रिक, नागरिक, प्रतिनिधि, विशेषाधिकार, मानवाधिकार।

PAPER ACCEPTED DATE:

28th October 2024

PAPER PUBLISHED DATE:

31st October 2024

प्रस्तावना-

मतदान का अर्थ और महत्व:- मतदान का एक अन्य अर्थ यह भी है कि यह निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने का एक तरीका है। मतदान करके, नागरिक अपने प्रदर्शन के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को फिर से चुनने या हटाने का विकल्प चुन सकते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने घटकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो नागरिक उन्हें आगामी चुनावों में मतदान करके हटा सकते हैं। साथ यह जानते हुए अर्थात् यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि उन लोगों की जरूरतों और चिंताओं के प्रति उत्तरदायी हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।

मतदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र के विकास जिम्मेदार नागरिक सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकार लोगों की इच्छा को दर्शाती है। लोकतंत्र में, सरकार लोगों की सेवा करने के लिए होती है, और यह चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से है कि नागरिक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। जब नागरिक मतदान करते हैं, तो वे ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो उनकी ओर से निर्णय लेंगे साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार अपने नागरिकों की जरूरतों और चिंताओं के प्रति कितनी उत्तरदायी है और यह उनके जीवन मूल्यों और सभी आवश्यक प्राथमिकताओं को दर्शाती तो है ही उन्हें लागू करने में भी मदद करती है।

इससे संबंधित अर्थ के अतिरिक्त, लोकतंत्र के कामकाज के महत्व के कारण मतदान की आवश्यकता बढ़ जाती है। लोकतंत्र इस विचार पर आधारित है कि सत्ता उन लोगों के पास होनी चाहिए, और मतदान वह प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा जनता उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। मतदान के माध्यम से नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। मतदान के बिना लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता। मतदान लोकतंत्र की जीवनदायनी शक्ति है।

मतदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समानता और समावेशिता को बढ़ावा देता है। जब सभी को वोट देने का अधिकार है, तो यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर विचार किया जाए और उनके जीवन को प्रभावित

करने वाले निर्णयों में सभी का समान अधिकार हो। यह अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने में मदद करता है, जहां हर किसी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है।

मतदान के महत्व के बावजूद, बहुत से लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं। कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि उनका वोट मायने नहीं रखता या राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट है। दूसरों को मतदान में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मतदाताओं का प्रभावित होना या मतदान स्थलों तक पहुंच की कमी। यह आवश्यक है कि इन बाधाओं को दूर किया जाए, और सभी नागरिकों की मतपेटी तक समान पहुंच हो। तभी सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है।

मतदान का ऐतिहासिक स्वरूप:-

प्राचीन भारत में गुटिकापात (सवज) के अतिरिक्त मतदान द्वारा भी प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था थी। धार्मिक संस्थाओं में, विशेषतः बौद्ध संघों में, निर्वाचन के निश्चित नियमों का पालन किया जाता था। “चुल्लबग्ग” में शाक्य द्वारा मतदान की तीन प्रविधियों का उल्लेख है: गुप्त मतदान, कान में कहकर मत प्रकट करने की, प्रविधि तथा खुला मतदान। गुप्त मतदान के लिये बौद्ध संघ मतपरिपत्र के रूप में रंगीन काष्ठ शलाकाओं का प्रयोग करते थे। शलाकाओं का संग्रहक मतदाताओं को रंगों के अर्थ समझाकर उनके मत संग्रह करता था और बहुमत का निर्णय मान्य होता था। यूरोप में प्राचीन यूनान तथा इटली में मतदान की व्यवस्था अंकुरित रूप में विद्यमान थी। प्राचीन राजतंत्रों में यह प्रचलन था कि कुछ गंभीर विषयों पर स्वयं निर्णय लेने के पूर्व राजा अपनी प्रजा की सहमति प्राप्त करने के लिये उसे आमंत्रित करो। ऐसी सभाओं में मत प्रकट करने का ढंग मौखिक था। एथेंस में गुटिकापात के अतिरिक्त जहाँ मतदान की व्यवस्था थी वहाँ हाथ उठाकर मत प्रकट करने की प्रथा थी। परंतु किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर गुप्त मतदान की व्यवस्था नहीं थी। रोम में दूसरी शताब्दी तक मतदान का ढंग “विभाजन” का (अर्थात् एक मत के लोगों का दूसरे मत के लोगों से अलग हो जाना) था। परंतु अधिकतर मतदाताओं का सामंतों

पर आर्थिक तथा सामाजिक अवलंब होने के कारण यह व्यवस्था स्वतंत्र मतदान के लिये उपयुक्त न हो सकी। अतः विधान द्वारा मतपरिपत्र की व्यवस्था की गई जिसके लिये मोमरंजित काष्ठशालाका प्रयुक्त होती थी।

आधुनिक जनतंत्र में मतदान की प्रक्रिया:- आधुनिक जनतंत्रों के मतदान के महत्त्व तथा उसकी प्रणाली के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इन सिद्धांतों के फलस्वरूप, आवश्यकता के समय संघर्ष निवारण की सामाजिक प्रविधि के रूप में शासन सत्ता के प्रति अनुवृत्ति प्राप्त करने के ढंग के रूप में सामाजिक संघर्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करने के साधन के रूप में ठीक परिस्थितियों में ठीक निर्णय प्राप्त करने की पद्धति के रूप में, सामाजिक आवश्यकताओं तथा असंतोष को अनावृत्ति की व्यवस्था के रूप में तथा अल्पसंख्यकों को राज्य के लाभों से वंचित रखने की व्यवस्था से बचाने के ढंग के रूप में, मतदान को मान्यता प्राप्त हुई है। हाल में, इस समस्या पर यथेष्ट ध्यान दिया जाने लगा है कि जिन्हें मताधिकार प्राप्त है वे किस सीमा तक इस अधिकार के प्रयोग में भाग लेने का कष्ट करते हैं। इस विषय में की गई खोज के अनुसार उन जनतंत्रात्मक देशों के लोग मतदान में अधिकतम संख्या में भाग लेते हैं जहाँ “अनिवार्य मतदान” की व्यवस्था अपनाई गई है।⁷ अनिवार्य मतदान का सिद्धांत सर्वप्रथम विस्तार के साथ स्विट्जरलैंड के सेंटगैलेन नामक कैंटन में व्यवहृत हुआ जिसके लिये सन् 1835 ई. में इसे कैंटन ने जिला परिषद् के चुनावों में किसी कारण भाग न लेने वालों के लिये विधान द्वारा अर्थदंड की व्यवस्था की। यह व्यवस्था स्विस नागरिकों को मताधिकार के उत्तरदायित्व का अनुभव कराने में सफल हुई है। साथ ही, इस व्यवस्था के फलस्वरूप मतदाताओं को मतदान में संमिलित होने के लिये उन्हें घर से बाहर लाने का राजनीतिक संगठनों का कार्यभार भी हल्का हुआ है। इसी प्रकार बवेरिया ने सन् 1881 ई. में, बुल्गारिया ने सन् 1882 ई. में तथा बेल्जियम ने सन् 1893 ई. में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था अपनाई। बवेरिया की व्यवस्था के अनुसार यदि मतदाताओं की पूरी संख्या के एक तिहाई से अधिक लोग मतदान में भाग नहीं लेते तो अनुपस्थित मतदाताओं को पुनः चुनाव कराने का पूरा व्यय वहन करना पड़ेगा। बेल्जियम ने अनुपस्थित मतदाताओं के लिये तीन दंड निर्धारित किए अंतर्विवेक पर- (1) अर्थ दंड, (2) सार्वजनिक भर्त्सना या कहे लज्जनवित करना तथा (3) मताधिकार अपहरण। इस प्रकार से अलग-अलग देशों में मतदान प्रणाली भिन्न-भिन्न रूपों में थी।

अनिवार्य मतदान के विपक्ष में सामान्यतः यह कहा जाता है कि यह व्यवस्था आधारित आपत्ति करने वाले (बवदेबपमदजपवने वझरमबजवत) के लिये कोई स्थान नहीं छोड़ती, तथापि मतदान न करने वालों का चरित्र उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है जितना इस बात पर ध्यान देना कि मत प्राप्त करने के लिये किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी देश में अनुचित साधनों द्वारा केवल विशिष्ट उद्देश्यों एवं स्वार्थों की पूर्ति के लिये सचेष्ट राजनीतिक संगठन ही मतदाताओं को मतदान में संमिलित होने की प्रेरणा देते हैं, तथा इस प्रकार अपने पक्ष में उनके मत संग्रह करते हैं तो निश्चय ही निर्वाचन तथा मतदान का प्रबंध सरकार के हाथों सौपना अधिक श्रेयस्कर होगा ताकि यह कार्य अधिक उत्तरदायित्व के साथ संपन्न हो सके।

निष्कर्ष:- मतदान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और जिम्मेदारियों में से एक है। यह व्यक्तियों को मुहूर्तों और उम्मीदवारों पर अपनी प्राथमिकताएं और राय व्यक्त करने, निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने, यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि सरकार लोगों की इच्छा को दर्शाती है, और समानता और समावेश को बढ़ावा देती है। यह सर्वविदित है कि मतदान के बिना लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता। यह आवश्यक है कि सभी नागरिकों की मतपेटी तक समान पहुंच हो।

REFERENCES

1. ऐकेन, क्रिस्टोफर एच., और लैरी एम. बार्टोल्सा 2017. लोकतंत्र के लिए यथार्थवादी: चुनाव उत्तरदायी सरकार क्यों नहीं बनाते हैं। राजनीतिक व्यवहार में प्रिंसटन अध्ययन, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस। (प्राक्कथन)
2. अंसोलबेहेयर, स्टीफन और फिलिप एडवर्ड जोन्सा 2010. “कांस्टीट्यूट्स रिस्पॉन्स टू कांग्रेसनल रोल-कॉल वोटिंग” अमेरिकन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 54(3): 583-597।
3. ब्लैक, डंकन। 1948. “समूह निर्णय लेने के औचित्य पर।” जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 56(1): 23-34।
4. बेलांगेर, एरिक और बोनी मेगुइडा 2008. “इश्यू की प्रमुखता, इश्यू ओनरशिप, और इश्यू-बेस्ड वोट चॉइस।” चुनावी अध्ययन, 27: 477-491।
5. बोलसेन, टोबी और थॉमस जे. लीपरा 2013. “सार्वजनिक लोगों के बीच स्व-रुचि और समाचार पर ध्यान।” पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, 30(3): 329-348।
6. कार्पिनी, माइकल एक्स. डेली और स्कॉट कीटर। 1996. व्हाट अमेरिकन नो अबाउट पॉलिटिक्स एंड व्हाई इट मैटर्स। येल यूनिवर्सिटी प्रेस। (प्राक्कथन)
7. कनवर्स, फिलिप ई. 1964। “द नेचर ऑफ बिलीफ सिस्टम्स इन मास पब्लिकसा” विचारधारा और असंतोष में, एडा। डेविड ई. एटर, न्यूयॉर्क: द फ्री प्रेस ऑफ ग्लेनको 206-261।
8. कनवर्स, फिलिप ई., और ग्रेगरी बी. मार्कसा 1979. “प्लस सीए चेंज...: द न्यू सीपीएस इलेक्शन स्टडी पैनल।” अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, 73(1): 32-49।
9. डेविस, ओटो ए., मेल्विन जे। हिनिच, और पीटर सी। ऑर्डेन्शूक। 1970. “चुनावी प्रक्रिया के एक गणितीय मॉडल का एक व्याख्यात्मक विकास।” अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, 64(2): 426-448।